# न्यायालय सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी,सण्डीला
## जनपद–हरदोई

वाद संख्या–टी 201410330445005 / 2014
धारा–143 ज0वि0 एवं भू0रा0अधि0
ग्राम–सांडॉ दखलौल पर0 गोण्डवा तह0 सण्डीला।
जनपद हरदोई।

विश्वनाथ महाविद्यालय सांडा दखलौल द्वारा प्रबन्धक प्रवेश सिंह पुत्र जगरूप सिंह निवासी बक्तूखेडा तह0 हसनगंज जिला उन्नाव।

-----------वादी

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

----------प्रतिवादी।

## आदेश

प्रार्थी विश्वनाथ महाविद्यालय सांडा दखलौल द्वारा प्रबन्धक प्रवेश सिंह पुत्र जगरूप सिंह निवासी बक्तूखेडा तह0 हसनगंज जिला उन्नाव ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 143 ज0वि0 एवं भू0 व्य0अधि0 के अन्तर्गत इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि वह गाटा संख्या 414 व 415 भूमि स्थित ग्राम सांडा दखलौल पर0 गोण्डवा तह0 सण्डीला जनपद हरदोई का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है। उक्त भूखण्डों महाविद्यालय का निर्माण कर रहा है और भूमि का उपयोग अब कृषि कार्यों में नही हो रहा है। विवादित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नोटरी द्वारा प्रमाणित नकल खतौनी वर्ष 1410–1415फ0 खाता संख्या 845, 846 व 847 ग्राम सांडा दखलौनी पर0 गोण्डवा तह0 सण्डीला प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीकृत किया गया। तहसीलदार सण्डीला से जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। तहसीलदार सण्डीला ने प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्रीय लेखपाल, नायब तहसीलदार से कराकर अपनी आख्या दिनांक 21–11–2014 को प्रस्तुत की है।

तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या मे स्पष्ट किया है। कि विवादित भूमि वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है। विवादित भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुकुट पालन आदि का कार्य नही किया जा रहा है, मौके पर महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। तहसीलदार सण्डीला की आख्या से विदित होता है कि उक्त भूमि कृषि उपयोग में नहीं लायी जा रही है। तथा उपररोक्त खतौनी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। इसलिये अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार सण्डीला की संस्तुति दिनांक 21–11–14 के आधार पर ग्राम सांडा दखलौल पर0 गोण्डवा तहसील सण्डीला की खतौनी वर्ष 1422 से 1427 फ0 की खाता संख्या– 760 की गाटा संख्या– 414 / 0.8610है0 तथा खाता संख्या 102 की गाटा संख्या 415 / 0.3700है0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। लगान मु0 48.43 रूपये निरस्त किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी किया जाय। आदेश की प्रति उपनिबंधक सण्डीला को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली सूचित अभिलेखालय की जावे।

दिनांक– 06.12.2014

(गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव)
सहायक कलेक्टर / परगनाधिकारी,
सण्डीला हरदोई।

22-12-14
24-12-2014
211
24-12-2015
24/12/2014

सत्यापित एवं प्रमाणित

26.12.2014